ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण हेतु कार्ययोजना

आपदा के जोखिम से समुदाय को सुरक्षित रहने तथा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु सभी गाँवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। जिससे सुरक्षित ग्राम की संकल्पना को साकार किया जा सके। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पांडर होता है अतएव आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका है। अतः समुदाय के माध्यम से ही गाँव का अपना आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा होने पर उससे निपटने एवं बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गाँव के स्थानीय समुदाय जहाँ पर वे रहते हैं वे वहाँ के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु क्या–क्या साम्रागियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि इनके माध्यम से ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जाय।

इसी के क्रम में कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून 2022 में पूर्णिया एवं 15–17 जून 2022 को खगड़िया जिले का मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया।

14/7/22